

अंचल कार्यालय, महागामा

केंश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 53/11-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 815/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभिधान चलाकर जाँच कर समयबद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेश कुमार राय को अंचल निरीक्षक श्री गोपबन्धु दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा सुर्यपुरी थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 29/59 दाग नं0 32 रकबा 02-15-00 किस्म पानी बरौत श्री अश्विनेश राजन पिता श्री श्री राजन साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री अश्विनेश राजन को दिनांक 19/7/16 समय 12:00 पुर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

राजेश
अंचल अधिकारी,
महागामा।

19.7.16

अभिलेख उपस्थापित

अश्विनेश हरिजन के छोटी हरिजन के पुत्र जेठ
रूशन प्रसाद (रविदास) उपस्थित भूमि प्राप्ति के संबंध
में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख दिनांक
4.8.16 को उपस्थापित करें।

sandha

राजेश
अंचल अधिकारी

राजेश
29/7/16

राजेश
अंचल अधिकारी

Prasanna

01/01/19

अभिलेख उपलब्ध। दुसन प्रकार पत्रा रकम अतिक्रमण
हीन उपलब्ध। पीछली पर्याप्तकारी अन्त क्रम में काल।
अभिलेख दिनांक 01/01/19 को लें।

अंश
अंश

11/01/19

अभिलेख उपलब्ध। दुसन प्रकार उपलब्ध। दस्तावेज उपलब्ध।
अभिलेख दिनांक 11/01/19 को लें।

अंश

7/6/19

अभिलेख उपलब्ध।
नोटिफ निर्गत करें।

अंश
अभिलेख
अभिलेख
अभिलेख

20/6/19

अभिलेख उपलब्ध।
नोटिफ निर्गत करें।
इसके द्वारा लिखित उपलब्ध के साथ जमीन-
संबंधी कागजात दिया है। जमीन संबंधी
कागजात में वर्णित तथ्यों एवं जमीन कवरेज
वर्तमान प्रत्येक की मांग संबंधी सूचना उपलब्ध।
मांगकर्ता अथवा मालिक, मालिक व मांग करें।
अभिलेख दिनांक 20/6/19 को लें।

अंश
अभिलेख
अभिलेख

31/7/2020


अभिलेख उपलब्ध।
नोटिफ निर्गत करें।

अंश
अभिलेख

अंश
अभिलेख

2/7/19

अभिलेख उपस्थापित।
कोविड-19 के कारण नोटिस निर्गत नहीं किया
गया है। कार्यवाहक सहायक को निर्देश दिया जाता
है कि दिनांक 26.08.2021 को 11:00 बजे पूर्वहण
में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भूमि से संबंधित
कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस
निर्गत करें।



अंचल अधिकारी,
महागाथा।

28/8/21

अभिलेख उपस्थापित।

काम के फाइल धजयी पड़ी है लंदेपिन कागजात

की जांच करी 31 मई है अभिलेख दिनांक 28/8/2021
को करें।


अंचल अधिकारी
महागाथा

28.08.2021


अभिलेख उपस्थापित।


राजस्व उपनिरीक्षक - सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागाथा
से प्रश्नगत भूमि का अंचल प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,
जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनसार अवेध/
संदेशासपट्ट पंजी II रैथत को भूमि मौजा-बुसआ
थाना नं- 692 के गैरमजहूआ खाना सं- 24
के अंदर टाग नं- 32 का अंश रकवा
00-15-00 धू जमीन अनुमंडल पदाधिकारी,
गोइडा के बंदोवस्ती वाद सं- 228/1965-66
के द्वारा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में प्रश्नगत

भूमि पर अभिलेख दर्जन के वेंगजों का
दखल है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख
की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित


अंचल अधिकारी,
महागामा।


अंचल अधिकारी,
महागामा।